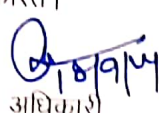
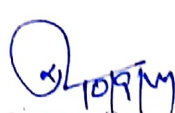


अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या-19/16-17
(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) धारा-4 (11) के अन्तर्गत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्रांक 04/रा0भू0 (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता के संसूचित आदेश झापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनावादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खारा भूमि की संदेहारपद कायम जमाबंदी की जांच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि गौजा-भतण्डा, खाता संख्या-259, कुल रकवा-11 बीघा 14 कट्ठा 03 धूर भूमि विगत सर्वे खतियाना में है एवं गौजा-भतण्डा के राजस्व पंजी-11 में अजीज अली मंडल के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम है एवं लोकहित एवं सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एवं सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है। यह वाद वर्ष 2016-17 से लंबित है। अभिलेख कार्यालय में अभिलेख सहायक के पास नहीं पाया गया। अभिलेख सहायक ने बताया कि यह अभिलेख हमें प्रभार में नहीं प्राप्त हुआ है। अवैध जमाबंदी पंजी के अवलोकन के पश्चात पाया कि इस वाद में कार्रवाई/अभिलेख खुला ही नहीं है। वाद बहुत समय से लंबित रहने के कारण वाद को आगे चलाना न्याय संगत नहीं है। अतः तत्काल रूप से बंद की जाती है। अभिलेख संचिकास्त।  अंचल अधिकारी महेशपुर  अंचल अधिकारी महेशपुर	